



भारतीय रिज़र्व बैंक
ग्रामीण आयोजना और ऋण विभाग
क्षेत्रीय कार्यालय, अहमदाबाद
Reserve Bank of India
Rural Planning & Credit Department
Regional Office, Ahmedabad



लाइसेंस सं. ग्राआऋवि (अह) 17 /2011-12

दिनांक: 25 जून. 2012

Licence No.RPCD (AH) 17 /2011-12

Dated : 25 June 2012

भारतीय रिज़र्व बैंक को बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56(ओ) के साथ पढ़ी जानेवाली धारा 22(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दि अमरेली जिला मध्यस्थ सहकारी बैंक ली., भोजलराम भवन, राजमहल रोड, अमरेली - 365 601 को एतद्वारा निम्नलिखित शर्तों के अधीन बैंकिंग कारोबार प्रारंभ करने और उसे चालु रखने का लाइसेंस प्रदान किया जाता है:

In exercise of the power conferred on the Reserve Bank of India by Section 22(1) read with Section 56(o) of the Banking Regulation Act, 1949 **The Amreli Jilla Madhyastha Sahakari Bank Ltd., Bhojalram Bhawan, Rajmahel Road, Amreli - 365 601** is hereby granted a licence to commence and carry on banking business, subject to the following conditions:

(क) बैंक के परिचालन का क्षेत्र केवल संबंधित गुजरात राज्य के अमरेली जिले तक ही सीमित होगा।

(a) The area of operation of the bank shall be confined only to the Amreli District of Gujarat State.

(ख) बैंक अपने पंजीकृत कार्यालय में लाइसेंस अथवा उसकी प्रमाणित प्रतिलिपि अपना कारोबार शुरू करने के दिन / लाइसेंस प्राप्त होने के बाद की तारीख से प्रदर्शित करेगा।

(b) This licence or a certified copy thereof shall be displayed at the registered office of the bank from the day on which it commences business/ date following the receipt thereof.

(बि. एन. लोनारे)

उपमहाप्रबंधक



(B. N. Lonare)

Deputy General Manager

This licence has been issued in lieu of the licence (RPCD (AH) 2/2009-10 dated February 22, 2010) issued earlier by this office vide RPCD(AH)No.3867/04.01.02/2009-10 dated February 22 2010